XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2 (देखिये नियम 7) 2780/17

मध्य प्रदेश शासन



## समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 01/06/01/30081/15

यह प्रमाणित किया जाता है कि युवा उदय शिक्षा समिति बैत्ल समिति जो c/o श्री सुनिल उदयपुरे म.नं. ९ उदय परिसर सदर तहसील बैत्ल जिला बैत्ल में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 16 Sep 2015 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 16 Sep 2015

मंगता पुरा में समितियों के रजिस्ट्रार



क्षयमाचल

- सोसायटी का नाम युवा उदय शिक्षा समिति बैतूल होगा।
- सौसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक c/o श्री सुनिल उदयपुरे म.नं. ९ उदय परिसर सदर 460001 तहसील बैतूल जिला बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
- असोसाइटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
- 4 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नान्सार होंगे:-
  - शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा के प्रसार हेतु शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना
- पर्माञ्ज में साक्षरता एवं शिक्षा के चहुमुखी विकास एवं सामृहिक और बहुद्देशीय विकास में सक़ीय भागीदारी करते हुए सामान्य से लेकर उच्चतम शिक्षा तक की व्यवस्था करना
- समिति के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी के सम्पूर्ण
- 3 विकास-शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवसायिक, तकनीकी, सामाजिक, प्रशासकीय एवं नैतिक मूल्यों की संज्ञानता की व्यवस्था करना
  - शिक्षा को माध्यम बनाते हुए दलित, पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति.
- 4 आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में सर्वागीर्ण विकास की गंगा बहाना ताकि शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सहज सुलभ हो सके
  - प्राथमिक एवं प्रोण शिक्षा पर आधारित शासकीय अशासकीय संस्थाओं
- द्वारा संचालित कार्यक्रमों में आगीदारी समाज को शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराना
  - वो सभी शिक्षा सम्बन्धी कार्य जो समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक केन्द्रों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं, शिक्षाकर्मियों के सर्वांगीर्ण विकास हेतु आवश्यक हाँ एवं केंद्र राज्य शासन, शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित एवं मान्य हाँ
- 7 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान देना
- राष्ट्रीय ओपन स्कूल (NIOS) द्वारा संचालित विभिन्न तकनीकि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सञ्चालन करना व प्रशिक्षण देना संस्था द्वारा प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना। चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कॉलेज पेरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ट्रामा सेंटर, होम्योपैधिक, आयुर्वेदिक, फॉर्मेसी कॉलेज, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज, मैक्नेजमेंट

संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-

- । प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
- 2 वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर
- 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
- (अ) साधारण सभा-ं साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एके बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व सस्म कार्यकारिणी समिति निश्चित क्र 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों को होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं

होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

।। साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रवंधकारिणी द्वारा पृष्ट्रतुत हो।

यू संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करेंगा।

जट का अनुमोदन करना। कारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके मि पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)积3天य -2 13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनुवार्य होगा। 14 वर्षा कारियों के अधिकार व कर्तव्य-(अ) जिन उर्श्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना। (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भरते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भ्गतान करना। (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से • 🔰 रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति. रजिस्ट्रार की लिखित अनुजा के बिना विक्रय द्वार्रा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएंगी। 15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रवंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयातमक होगा। 16 उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण

सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के

को सुधारण सभा एवं प्रवसकारिणी की बैठक समुद्रा समय पर क्राफ्त और

समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17 सचिव(मंत्री) के अधिकार-

प्रारूप — सात (नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासीनिकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रवत्र (प्रोपामी)

1. संस्था का नाम व पूरा पता : बुवा उदय शिक्षा समिति

श्री सुनिल उदयपुरे सदर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल

12022-11-2018

**то**ио

2. रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं दिनांक

: 01/06/01/30081/15, वि. 16/09/2015

3. साधारण निकाय के वार्षिक

: 25/09/2018

सम्मिलन की तारीख

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 15/05/2018 से तारीख 14/05/2021 तक

वर्तमान कार्यकारिणी सूची वर्ष 2018

Φ.	नाम पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	पद	व्यवसाय	इस्ताक्षर
1.	श्री सुनील उदयपुरे/ श्री गयाप्रसाद उदयपुरे	0, महावीर वार्ड, टिकारी बेतूल, मप्र	अध्यक्ष	व्यवसाय एवं समाज सेवा	Bulus?
2	श्री विनय अग्निहोत्री / श्री घनंजय अग्निहोत्री	प्लॉट नं. 29, नियर एल.एफ.एस. स्कूल,चन्द्रशेखर वार्ड वैतूल, मप्र	उपाध्यक्ष	व्यवसाय	起
3.	श्री सचिन चौघरी/श्री घनराज चौघरी	प्लॉट नं. 5 सॉई नगर, झींगाबाई टाकली, नागपुर, महाराष्ट्र	सचिव	अशासकीय सेवा	4
4.	श्रीमती मीना भद्रें /श्री शंकर राव भद्रें	टाकला, नागपुर, महाराष्ट्र प्रताप वार्ड, एच.एम.टी., वॉच फैक्टरी के सामने इटारसी खेंड, टिकारी बैतूल, गुप्र 28, मेंडे लेग्डीउंट बंपावलम्बी नगर नागपुर महाराष्ट्र	कीषाध्यक्ष वि	समाज सेवा	भीजा भार्रे
5.	श्री विंनोद पांडे/श्री पांडुरंग पांडे,	28, मेंडे लेग्डॉडिट स्पावलम्बी नगर नागपुर महाराष्ट्र	संयुक्त सचिव	नौकरी	Stanto
6.	श्रीमती मंजू अग्निहोत्री /श्री विनय अग्निहोत्री	श्रा हाम्स कालाना, १०७, १नवर एल.एफ.एस. स्कूल, चन्द्रशेखर वार्ड बैत्ल, मप्र	सदस्य		rise of
7.	श्रीमती दिप्ती मर्ते / श्री सचिन भर्दे	एच.एम.टी., वॉच फैक्टरी के सामने इटारसी रोड, टिकारी बैतूल, मंप्र	सदस्य	गृहिणी	Line
8.	सिवता पाण्डेय / श्री / विनोद पांडे	28, भेंडे ले आउट स्वावलम्बी नगर नागपुर महाराष्ट्र	सदस्य	अशासकीय नौकरी	Rendey
9.	चंद्रांशु चौधरी/श्री सचिन चौधरी	प्लॉट नं. 5 सोई नगर, झींगाबाई टाकली, नागपुर, महाराष्ट्र	सदस्य	अशासकीय नौकरी	8 hendles
10.	पल्लवी उदयपुरे/श्री सुनील उदयपुरे	महावीर वार्ड, टिकारी बैतूल, मप्र	सदस्य	गृहिणी	pullui

July

ब्रध्यक्ष युवा उदय शिक्षा समिति ्रियाल भीर भोपाल

(ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मख प्रस्तृत करना। (ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेत् प्राधिकृत होगा। 18 संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा 19 कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकार्रिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना। 20 बंक शार्श सोसाइटी की निधियां अधिस्चित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियाँ का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्तार्क्स से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम र्र. 5000/- रहेंगे। 21 संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। 22 विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अंचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। 23 सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखिहामांपूर प्रात अनुजा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से आजेत था है अंतरित नहीं की जा सकेगी। whomber. ती होने की विशेष कोषाध्यक